प्रेस नोट थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक :- 21.02.2026

जनपदीय एस0ओ0जी0 टीम व थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कुल 199 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जनपद शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अपराध रोकथाम, मिशन शक्ति फेज- 5 अभियान व गिरफ्तारी वांछित अभियुक्त के क्रम में जनपदीय एस0ओ0जी0 टीम व थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कुल 199 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.02.2026 को उपनिरीक्षक नागेन्द्र तिवारी मय उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह एवं चीता-11 के कर्मचारी हेड का० नवीन कुमार थाना हाजा से बहवाले रपट संख्या-68 समय 23.28 बजे रवाना होकर रोकथाम जुर्म-जरायम एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु चौकी हद्दफ क्षेत्र में मामूर थे। गश्त के दौरान सुभाषनगर तिराहे पर पहुंचे, जहाँ पूर्व से मौजूद मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि छोटे कुतबे के पीछे एक व्यक्ति कारतूस बेचने की फिराक में खड़ा है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम तत्काल बताए गए स्थान की ओर रवाना हुई। मार्ग में ईदगाह के पास जनपद शाहजहाँपुर के एस०ओ०जी० प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार मय टीम उपस्थित मिले, जिन्हें सूचना से अवगत कराते हुए संयुक्त रूप से छोटे कुतबे के पास पहुंचकर एकबारगी दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को कुतबे से लगभग 150 कदम की दूरी पर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम जावेद अहमद उर्फ राजा पुत्र हबीब निवासी बाड़ूजई प्रथम, पक्का तालाब, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर बताया। जामा तलाशी में उसके कब्जे से कुल 199 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 अदद कीपैड मोबाइल फोन तथा 500-500 रुपये के 02 नोट एवं 100 रुपये का 01 नोट, कुल 1100 रुपये बरामद हुए। अभियुक्त को उसके अपराध से संबंधित धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम से अवगत कराते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए दिनांक 20.02.2026 को समय करीब 23.57 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त को थाना सदर बाजार लाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

जावेद अहमद उर्फ राजा पुत्र हबीब निवासी बाड़ूजई प्रथम पक्का तालाब थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 52 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान व समय–

छोटे कुतबे से करीब 150 कदम की दूरी पर, दिनांक 20.02.2026 को समय करीब 23.57 बजे

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारीः-

मु0अ0सं0- 75/26 धारा- 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1. जिन्दा कारतूस 199 अदद 315 बोर,
2. दो अदद कीपैड मोबाइल फोन,
3. 500-500 रूपये के दो नोट व 100 रूपये का एक नोट, कुल 1100 रुपये।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :-

1. निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार प्रभारी एस०ओ०जी० शाहजहाँपुर मय टीम।
2. उपनिरीक्षक नागेन्द्र तिवारी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।
3. उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।
4. मुख्य आरक्षी नवीन कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।